GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Call Number: **GELC-A _ 001 _ 1438**

Classification:

Original File No:

Title

REVISED PENSION FUND RULES

Volume:

Running **from year: 1980** **till year: 1999**

Content:

- **Draft of the revised pension fund rules approved on 17th, 18th July 1980 (Hindi & English)**
- **Further ammendment letters in 1999**

भूमिका

वर्त्तमान के पेन्सन फण्ड नियमों के संशोधन निमित जिन तीन जनों ॥ 1 ॥ श्रीमती एन0 सोके ॥ 2 ॥ श्री ए0 के0 मिश्रा ॥ 3 ॥ पादरी जे संगा, की जो पेन्सन फण्ड संशोधन समिति बनी और जिनको संशोधन का कार्य सौंपा गया था उसने 6-12-1998 और 10-2-1999 के बीच इस कार्य का संपादन किया। एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि श्री डी0 ए0 के मिश्रा सूचना देने के बावजूद लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, अतः दो ही सदस्यों - श्रीमती एन0 सोके और पादरी जे0 संगा द्वारा ही यह कार्य संपादित हुआ।

इसलिये क्योंकि इन नियमों के नामकरण ही में "पास्टर" शब्द के बदले "कर्मचारी" शब्द का उपयोग हुआ, सभी जगह आवश्यकतानुसार, "पास्टर" शब्द के जगह "कर्मचारी" शब्द का उपयोग हुआ और यह पुरूष और महिला जो भी कलीसिया की सेवा में कार्यरत है, को बोध करता है।

नियम 4 ॥अ॥ के साथ उपधारा ॥ब॥ जोड़ा गया है ताकि कलीसिया के अधिकारियों को सुविधा हो और पेन्सन देन जल्द केन्द्रीय कार्यालय में जमा हो सके।

अवयस्क बच्चों के हित को ध्यान में रखकर नियम 11 में परिवार, पेन्सन का प्रवधान है, जो बच्चों के माँ-बाप की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों के हित में लागू हों।

अनावश्यक समझकर नियम 11 का ॥सी॥ और नियम 12 हटा दिये गये।

वर्त्तमान नियमों के अलावे कुछ नये नियम और उपनियम कलीसिया और पेन्सनभोगियों की माँग के अनुकूल जोडे गये है। अस्पष्टता और संभ्राति को दूर करने के निमित कुछ नियमों का विस्तार किया गया है।

कलीसिया की रूचि वृद्धि के उद्धेश्य से उपनियम ॥1॥ और उपनियम ॥12॥ और ॥13॥ को केन्द्रीय परिषद को परिवार पेन्सन देने में सुविधा प्रदान करने हेतु जोड़ा ग गया है।

इसलिये क्योंकि पेन्सन ॥ प्रावधान ॥ भविष्य में सुरक्षा का प्रावधान है, अदालत एंव कलीसिया के बन्धान से इसे मुक्त रखना आवश्यक है। अतः बन्धन से मुक्त रखने के उद्धेश्य से नियम 14 को इस प्रारूप में जोड़ा गया है।

यह प्रारूप संशोधन के पश्चात आवश्यक कार्यवाही के निमित सौंपा जाता है।

संशोधन प्रारूप ॥ ड्राफ्ट ॥

जी0 ई0 एल0 चर्च पेन्सन फण्ड नियम।

॥ 17, 18 जुलाई 1980 को चर्च कौंसिल की बैठक में स्वीकृत ॥

01. फण्ड का नाम : फण्ड का नाम "जी0 ई0 एल0 चर्च कर्मचारी पेन्सन फण्ड"
02. फण्ड का उद्धेश्यः इसके नियम के आधार पर कर्मचारी और उसके आश्रितों को भविष्य में सुरक्षित देना।
03. श्रेणी : निम्न श्रेणी के पेन्सन उपलब्ध होंगेः
    - अ. एक मुश्त पेन्सन
    - ब. नियामित पेन्सन
    - स. कर्मचारी परिवार पेन्सन
04. पेन्सन फण्ड के श्रोतः
    - अ. ॥1॥ कर्मचारी का अपना मासिक देन आधार वेतन का प्रति रूपैये 5 पैसे
      ॥2॥ कर्मचारी की वेतन देने वाली संस्था का मासिक देन-कर्मचारी के आधार वेतन के मासिक वेतन का प्रति रूपैये 5 पैसे

पृष्ठ/2

ब. शासन अधिकारी अथवा वेतन देने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी का देन उनके वेतन से काट कर जैसा अ (1) और (2) में उल्लेखित है केन्द्रीय कार्यालय को भेजें।

स. बाहय संस्था से प्राप्त विशेष निधारित देन।

द. बैंक में रखे गये रकम से प्राप्त सूद।

05. फण्ड का संचालन।

इस फण्ड के नाम से प्राप्त रकम एक अलग बैंक खाता में " पेन्सन फण्ड" के नाम से जमा किया जाएगा। इस फण्ड का हिसाब-किताब रखने एवं इस फण्ड से निकालकर पेन्सन भोगियों को देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय परिषद की होगी। इस फण्ड का रकम किसी अन्य में ऋण के रूप में भी खर्च नहीं किया जाएगा।

06. एक मुस्त पेन्सन देने की व्यवस्था।

ऐसे वर्ग कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष से अधि परन्तु दस वर्ष से कम कलीसिया में सेवा की हों। (एक से नौ वर्षों की सेवा अवधि के लिए) एक बार पेन्सन पाने के हकदार होंगे।

07. एक बार पेन्सन प्राप्तव्य रकम।

एक बार पेन्सन प्राप्तव्य रकम अन्तिम आधार वेतन को जितने वर्ष सेवा कि गई हो उससे गुणा करने से जो निकले वह रकम होगा।

08. नियमित पेन्सन के प्रावधान।

(अ) कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि तक सेवाकाई देकर निवृत हों, किन्तु यदि वह किसी अन्य संस्था की सेवा कर लाभान्वित हो तो उन्हें मात्र उनका निजी रकम वापस कर दिया जाएगा। अथवा

(ब.) कर्मचारी कलीसिया में 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सेवान्निवृत हो, अथवा

(स.) कर्मचारी अपनी बीमारी के कारण किसी अधिकृत डाक्टर के द्वारा आगे सेवकाई करने के लिये अयोग्य प्रमाणित किया गया हो,

09. नियमित पेन्सन में प्राप्तव्य रकम।

नियम 8 के अन्तर्गत कर्मचारी को आजीवन पेन्सन प्राप्त होगा। कलीसिया उससे लगातार प्राप्त सेवा वर्षों की संख्या पर और 30 जोड़ कर पेन्सन का प्रतिशत रकम निर्धारित होगा। कलीसिया में सेवकाई के क्रम में उनका जो अन्तिम आधार वेतन होगा उस पर यह प्रतिशत लागू होगा।

उदाहरण :

किसी व्यक्ति ने लगातार 36 वर्ष की सेवा की हो और उसका अन्तिम आधार वेतन 2000 रुपया हो:

पेन्सन प्रतिशत = सेवा अवधि 30
= 36 30= 66 प्रतिशत
पेन्सन रकम = 66 प्रतिशत × 2000
= 66/100 × 2000
= 1320/- रू. प्रति माह

10. परिवार पेन्सन आ प्रावधान:

अ. यदि नियमित पेन्सन पाने वाले अथवा वाली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी अथवा पति को उसके पेन्सन का आधा रकम माहवारी पेन्सन के रूप में मिलेगा। यह रकम मृत्यु अथवा पुर्नविवाह होने तक जो भी पहले हो प्राप्त होगा।

ब. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति अवधि के पहले पेन्सन पाये बिना मर गया और नियमित पेन्सन का हकदार हो तो उसे उसके द्वारा जमा किया हुआ पूरा रकम अथवा 30000 रू. जो भी कम हो परिवार पेन्सन के हकदार को भुगतान और जो भी रकम कर्मचारी को प्राप्त होता उसका आधा परिवार पेन्सन के नाम से दिया जाएगा।

उदाहरणं :

किसी व्यक्ति "वाई" ने 1.1.70 को सेवा आरम्भ किया और 20-2-1998 उसकी मृत्यु हुई अनुग्रह पूर्वक जब कि उनका आधार वेतन माहवारी 2000/- रू. रहा रकम 27 30= 57 प्रतिशत = 2000/-रू. का 57 प्रतिशत =1140/- रू. प्रति माह होता, अतः परिवार पेन्सन 1140/- रू. का आधा 570/- रू. प्रति माह होगा।

स. यदि कोई कर्मचारी जो एक बार पेन्सन प्राप्त करने का हकदार हो पेन्सन रकम पाने के पहले मर जाता हो तो वह रकम उसकी पत्नी अथवा पति अथवा बच्चों को दिया जाएगा

द. परिवार पेन्सन देना कर्मचारी अथवा वेतनभोगी के मृत्यु तारीख से आरम्भ होगा।

11. परिवार पेन्सन पाने वालों की प्रथमिकता इस प्रकार होगीः

1. कर्मचारी (पत्नी अथवा पति) के विवाहित जोड़े को
2. उपरोक्त व्यक्तियों के पुर्नविवाह कर लेने अथवा मृत्यु हो जाने पर बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक अथवा काम पकड़ने तक जो भी पहले हो।शादी हुई लड़कियाँ परिवार पेन्सन के हकदार नहीं होगी। बच्चों को परिवार पेन्सन की रकम मंडली के संचालक प्रचारक अथवा पादरी के मरफत बराबर-बराबर दिया जाएगा।

यदि अनेक नबालिक बच्चे हो तो उनके गर्जियन के मरफत उन्हें बराबर-बराबर 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा

नोटः परिवार पेन्सन कर्मचारी के मृत्युपरान्त जन्मे बच्चों अथवा सेवानिवृत्त होने के पश्चात विचारनीय अवधि के अन्त जन्मे बच्चों को भी प्राप्त होगा।

12. पेन्सन देने की विधिः- साधारणतः नियमित पेन्सन मनिआर्डर से भेज दिया जायगा। जो केन्द्रीय परिषद के मुख्य लेखापाल द्वारा माहिना का प्रथम पखवारा में भेजेंगे। स्थानीय पेन्सनरों एवं उनके अधिकृतों को केन्द्रीय कार्यालय में ही दिया जाएगा।

13. पास्टर एवं कर्मचारी जो पेन्सन पाने के हकदार नहीं होंगे।

अ. पाद्रीगण पदाभिषेक पाने के पूर्व पाद्रीगण और कर्मचारी जो और किसी अन्य श्रोत से पेन्सन पा रहे हो।

ब. ऐसे कर्मचारी जो किसी दूसरी कलीसिया की सेवा निमित भेजे गए हो और उस कलीसिया से पेन्सन पा रहे हो, वे जब गोस्सनर कलीसिया की सेवा में लौटे गये हो तो जी.ई.एल.कलीसिया से अनुपातिक पेन्सन पाएँगे परन्तु दोनों रकम मिल कर उस रकम से अधिक नहीं होगा जो उन्हें तब प्राप्तव्य होता जब वे दूसरी कलीसिया की सेवा में न भेजे जाकर जी.ई.एल. कलीसिया से पेन्सन पाते।

ऐसे पेन्सन पाने वालों के संबन्ध में जिस कलीसिया में सेवा निमित भेजे गए वहां की सेवा अवधि और गोस्सनर कलीसिया की सेवा अवधि दोनों मिलाकर जो कुल अवधि होगी उसके अनुसार जो पेन्सन रकम प्राप्तव्य हो उससे जो रकम दूसरी कलीसिया देती है उसको घटाने से जो रकम निकले वह जी.ई.एल. चर्च से प्राप्तव्य पेन्सन रकम होगा।

उपरोक्त सुविधाएं नियमों के प्रावधान अनुसार प्राप्तव्य होंगी।

पृष्ठ/4

14. पेन्सन एवं परिवार पेन्सन किसी प्रकार से सरकारी अदालत से अथवा कलीसिया से प्राप्तव्य किसी अन्य रकम से संलग्न नहीं होगा।

15. नियमों का संशोध जोड अथवा घटावः
नियमों के संशोधन, जोड़ अथवा घटाव का अधिकार केन्द्रीय परिषद्र को है। इसके लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई की उपस्थिति पर ही कोरम माना जाएगा।

16. ये संशोधन नियम 1-4-2000 से लागू होंगे।

उपनियम

01. अ. किसी भी प्रकार का पेन्सन कर्मचारी को देने का आरम्भ तब तक नहीं होगा जब तक वह कलीसिया के मकान को खाली नही करता है
ब. वह अपने पदभार का जिम्मा नहीं करता है।
स. संबन्धित व्यक्तियों से इस बात का प्रमाण - पत्र प्राप्त न हो कि उसकी ओर से और कुछ देय नहीं है।
संबन्धित अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारी के संबंध में किसी प्रकार की गलतियों अथवा गलत सूचना देने के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्हें पेन्सन के आवेदन पर अच्छी तरह जाँच कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षर कर उसे पेन्सन देने वालों के कार्यालय में प्रेषित करना है। पेन्सन आवेदन उपयुक्त अधिकारी के मरफत ही केन्द्रीय परिषद्र के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक होगा।

02. पेन्सन के संबंध में सेवा अवधि का आरम्भ तब से माना जाएगा जब से कर्मचारी किसी निश्चित कार्य पर बहाल होते है और पेन्सन के लिए अपना निजी देन देना आरम्भ करते है।

03. कर्मचारी जो नियमित रूप से नियमित पेन्सन के लिए अपना देन नहीं चुकाते हैं वे पेन्सन पाने के हकदार नहीं होंगे, ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनका दिया हुआ रकम उन्हें लौटा दिया जाएगा।

04. जब कर्मचारी वेतन रहित छुट्टी में हो और उस अवधि में उन्होंने पेन्सन के लिए अपना देन नहीं दिया हो, तो उसकी वह अवधि पेन्सन रकम निर्धारित करने के क्रम में पूरी सेवा अवधि से घटा दी जाएगी और वर्षों में उसकी निजी बिमारी के कारण से प्राप्त छुट्टी अवधि को मिलाने और न मिलाने का निर्णय केन्द्रीय परिषद्र पर निर्भर करेगा।

05. कर्मचारी जो अपने काम से स्तीफा देते है परन्तु बाद में केन्द्रीय परिषद्र की अनुमति से फिर काम पकड़ते है, वे पुनः काम पकड़ने के बाद के दिन से पेन्सन के लिए हकदार होंगे, पहले की अवधि के लिए वे अधिकार रहित होंगे।

06. कर्मचारी जो आवश्यकतावश पुनः काम में लगाये गए हो सेवा विस्तार की अवधि में पेन्सन नहीं पाऐंगे, सेवा विस्तार अवधि के समाप्त होने पर ही वे पेन्सन पाऐंगे।

07. कर्मचारी जो पेन्सन पा रहें है और केन्द्रीय परिषद्र की स्वीकृति से किसी कार्य में लगाये जाते है उनको पेन्सन देना तब तक बन्द रहेगा जब तक वे उस कार्य से मुक्त नहीं हो जाते है।

08. कर्मचारी जो किसी यथार्थ कारण से कलीसिया की सजा में रखे गये हो, जब तक सजा में रहते है पेन्सन देना बन्द रहेगा परन्तु पुर्नग्रहण के बाद बकाया समेत पेन्सन फिर दिया जाएगा।

09. कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा कलीसिया से निकाल दिये गए हों उन को पेन्सन नहीं मिलेगा परन्तु उनका अपना दिया रकम उन्हें वापस दे दिया जाएगा।

10. कर्मचारी जो सेवा करते हुए ही कलीसिया को छोड़ देते हैं वे पेन्सन के हकदार नहीं होंगे, परन्तु उन्हें उनका दिया रकम वापस दे दिया जाएगा।

11. पेन्सन पाते हुए कोई कर्मचारी कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया के अंग हो जाते हैं उनको उसी तारीख से पेन्सन देना बन्द हो जाएगा।

11. यदि पेन्सन के रकम में रुपैया खंडित हो तो उससे ऊपर वाला पूरा रुपैया हिसाब में लिया जाएगा।

12. कर्मचारियों के द्वारा अपने परिवार का विवरण घोषित करना होगा। यदि किसी का परिवार ही नही हो तो उसे किसी को नामजद करना होगा, परन्तु यह तब स्वतः अमान्य हो जाएगा जब उसका परिवार हो जाता है।

13. यदि कोई कर्मचारी सेवा अवधि एवं सेवा निवृत्ति पर पेन्सन उपभोग करने के पूर्व मर जाता है और उसका कोई परिवार नहीं है तो पेन्सन उसको मिलेगा जिसको कचहरी से उत्तराधिकार पत्र प्राप्त हो। अन्यथा कुछ महिनों में जिसका निर्णय केन्द्रीय परिषद करेगा के बाद समाप्त हो जाएगा।

14. यदि कोई कर्मचारी निलंबित अवस्था में मर जाता हो तो परिवार पेन्सन नियम 10 और 11 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिसका निर्णय पेन्सन देने वाला अधिकारी स्वंय निर्णय लेकर अथवा पुर्नरक्षण कमिटि के सिफारिस पर मानो उनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो, देंगे। परिवार पेन्सन की अवधि का शुरू उसके मृत्यु के दूसरे दिन ही से होगा और उसके निलंबित होने के पूर्व का आधार वेतन ही आधार वेतन माना जाऐगा।

15. यदि पेन्सन अथवा परिवार पेन्सन पाने वाला व्यक्ति सरकारी अदालत द्वारा दंडित हो तो वह व्यक्ति पेन्सन नही पाएगा परन्तु परिवार पेन्सन उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।

16. यदि अधिकारी (अफसर) धोखा देने एवं हिसाब-किताब गड़बड़ करने के बाद लापत्ता हो जाता हैं तो पेन्सन अथवा परिवार पेन्सन अदालत द्वारा उसके मुक्त किये जाने के पश्चात ही अथवा प्रशासनिक कार्रवाई के अन्त हो जाने पर ही मामला की स्थिति अनुसार पेन्सन देना स्वीकृत होगा।

17. यदि विवाहित दम्पति के दोनो सदस्य कलीसिया की सेवा में है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा सेवा कर ही रहा हो, तो वे मृत सदस्य का पेन्सन अपने सेवा में रहने के बवजूद प्राप्त करेंगे और यदि दोनो की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे दोनो के (माँ-बाप) नाम से परिवार पेन्सन प्राप्त करेंगे।

18. यदि कोई कर्मचारी सेवा की अवधि में ही मर जाता है तो मृत्यु की सूचना तुरन्त अथवा एक महिने के अन्दर केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में पहुँचनी चाहिए। गलती से अधिक रकम भुगतान होने को रोकने के लिए यह कदम लेना आवश्यक है। यदि दो महिनो के अन्दर मृत्यु की सूचना उपयुक्त अधिकारियों के मरफत कार्यालय में नहीं पहुँचती है तो पेन्सन पाने का पूरा अधिकार समाप्त हो सकता है।

19. यदि किसी कर्मचारी पेन्सन एंव पेन्सन फण्ड के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उसे विशप कौंसिल एंव अफसरों की बैठक में पेश होना है।

ह0/- एन0 सोके
सदस्य
पेन्सन एंव पी॰ एफ॰ समिति

ह0/- पाद्री जे0 संगा
कोन-भेनर
पेन्सन एंव पी॰ एफ॰ समिति।

संशोधन: प्रारूप (ड्राफ्ट)

जी. ई. एल. चर्च पेंशन फन्ड नियम

(१६, १८ जुलाई १९८० को चर्च कौंसिल की बैठक में स्वीकृत)

१. फन्ड का नाम: फन्ड का नाम "जी. ई. एल. चर्च कर्मचारी पेंशन फन्ड" होगा।

* २. फन्ड का उद्देश्य: ~~वैसा ही है, केवल "पास्टर" के जगह~~ "कर्मचारी" रखा गया।

३. श्रेणी: निम्न श्रेणी के पेंशन उपलब्ध होंगे:

अ. ~~एक बार पेंशन~~ एक मुश्त पेंशन

ब. नियमित पेंशन

स. कर्मचारी परिवार पेंशन

४. पेंशन फन्ड के स्रोत

अ. (१) कर्मचारी का अपना मासिक देन - आधार वेतन का प्रति रुपैये ५ पैसे

(२) कर्मचारी को वेतन देनेवाली संस्था का मासिक देन – कर्मचारी के आधार वेतन के मासिक वेतन का प्रति रुपैये ५ पैसे

ब. शासन अधिकारी अथवा वेतन देने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी का देन उनके वेतन से काट कर जैसा अ.(१) और (२) में उल्लेखित है केन्द्रीय कार्यालय को भेजें।

स. बाह्य संस्था से प्राप्त विशेष निर्धारित देन

द. बैंक में रखे गये रकम से प्राप्त सूद।

५. फन्ड का संचालन

इस फन्ड के नाम से प्राप्त रकम एक अलग बैंक-खाता में ~~जमा~~ "पेंशन फन्ड" के नाम से जमा किया जाएगा। इस फन्ड का हिसाब-किताब रखने ~~की जिम्मेदारी केन्द्रीय परिषद की होगी~~ एवं जो इस फन्ड से निकाल कर पेंशन भोगियों को देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय परिषद की होगी। इस फन्ड का रकम किसी अन्य मद में ऋण के रूप में भी खर्च नहीं किया जाएगा।

६. एक ~~बार~~ मुश्त पेंशन देने की व्यवस्था

ऐसे चर्च-कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम कलीसिया में सेवा की हो (एक से नौ वर्षों की सेवा अवधि के लिए) एक बार पेंशन पाने के हकदार होंगे।

७. एक बार पेंशन प्राप्तव्य रकम

एक बार पेंशन प्राप्तव्य रकम अन्तिम आधार वेतन को जितने वर्ष सेवा किये गये हो उससे गुणा करने से जो निकले वह रकम होगा।

८. नियमित पेंशन के प्रावधान

(अ) कर्मचारी कम से कम १० वर्ष एवं उससे अधिक अवधि तक सेवकार्य देकर सेवानिवृत्त हो, किन्तु यदि वह किसी अन्य संस्था की सेवा कर लाभान्वित हो तो उन्हे मात्र ~~उनके प्राप्~~ उनका निजी रकम वापस कर दिया जाएगा। अथवा

(ब) कर्मचारी ~~ने~~ कलीसिया में ६५ वर्ष की आयु तक सेवा कर सेवानिवृत हो अथवा

(स) कर्मचारी अपनी बीमारी के कारण किसी अधिकृत डाक्टर के ~~चिकित्सा पत्र~~ द्वारा आगे सेवकाई करने के लिए अयोग्य प्रमाणित किया गया हो।

९. नियमित पेंशन में प्राप्तव्य रकम

नियम ८ के अंतर्गत कर्मचारी को आजीवन पेंशन प्राप्त होगा। उसमें कलीसिया में लगातार प्राप्त सेवा वर्षों की संख्या पर और ३० जोड़कर पेंशन का प्रतिशत रकम निर्धारित होगा। कलीसिया में सेवकाई के क्रम में उनका जो अन्तिम आधार वेतन होगा ~~उसके प्रतिशत~~ उस पर यह प्रतिशत लागू होगा।

उदाहरण :

किसी व्यक्ति X ने लगातार ३६ वर्ष की सेवा की हो और उसका अन्तिम आधार वेतन २०००) रु॰ हो :

पेंशन प्रतिशत = सेवा अवधि + ३०
= ३६ + ३० = ६६ %

पेंशन रकम = प्रतिशत × अन्तिम का आधार वेतन
= ६६ % × २०००
= ६६/१०० × २०००
= १३२०) रु॰ प्रति माह

१०. परिवार पेंशन का प्रावधान :

(अ) यदि नियमित पेंशन पाने वाले अथवा वाली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ~~पत्नी~~ अथवा पति को उसके पेंशन का आधा रकम माहवारी पेंशन के रूप में मिलेगा। यह रकम उनके मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने तक जो भी पहले हो प्राप्त होगा।

(ब) यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति अवधि के पहले पेंशन पाये बिना मर गया और नियमित पेंशन का हकदार हो तो उसे उसके द्वारा जमा किया हुआ पूरा रकम अथवा 3000) रु. जो भी कम हो परिवार-पेंशन के हकदार को 'Ex-gratia' भुगतान * अनुग्रहपूर्वक और जो भी रकम कर्मचारी को प्राप्त होता उसका आधा परिवार पेंशन के नाम से दिया जाएगा।

उदाहरण :

किसी व्यक्ति 'Y' ने 1.1.60 को सेवा आरम्भ किया और 20.2.1988 को उसकी मृत्यु हुई। जब कि उनका आखिरी वेतन माहवारी 3000/- रु. रहा। पेंशन रकम 20+30=50% = 3000) रु. का 50% = 1980) रु. प्रति माह होता, अतः परिवार पेंशन-1980) रु. का आधा 990) प्रति माह होगा।

(स) यदि कोई कर्मचारी जो एक बार पेंशन-प्राप्त करने का हकदार हो पेंशन रकम पाने के पहले मर जाता हो तो वह रकम उसके पत्नी अथवा पति अथवा बच्चों को दिया जाएगा।

(द) परिवार पेंशन देना कर्मचारी अथवा वेतनभोगी के मृत्यु तारीख से आरम्भ होगा।

11. परिवार पेंशन पाने वालों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी:

(1) कर्मचारी की पत्नी अथवा पति के विवाहित जोड़े को

(2) उपरोक्त व्यक्तियों के पुनर्विवाह कर लेने अथवा मृत्यु हो जाने पर बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक अथवा काम पकड़ने तक जो भी पहले हो। ब्याही हुई लड़कियां परिवार पेंशन के हकदार नहीं होंगी। बच्चों को परिवार पेंशन की रकम मंडली के संचालक प्रचारक अथवा पादरी के मारफत बराबर बराबर दिया जाएगा।

यदि अनेक नाबालिग बच्चे हो तो उनके गार्जियन के मारफत उन्हें बराबर बराबर 25 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा।

नोट: परिवार पेंशन कर्मचारी के मृत्योपरान्त जन्मे बच्चों अथवा सेवानिवृत्त होने के पश्चात ~~जन्मे बच्चों को भी~~ विचारणीय अवधि के अन्तर्गत जन्मे बच्चों को भी प्राप्त होगा सकेगा।

१२. पेंशन देने की विधि :

~~यह पूर्ववत है केवल के.ए.एस. के स्थान पर केंद्रीय परिषद (सेन्ट्रल कौंसिल) होगा।~~

१३. पास्टर एवं कर्मचारी जो पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे :

(अ) पादरीगण पदाभिषेक पाने के पूर्व : पादरीगण और कर्मचारी जो और किसी अन्य स्रोत से पेंशन पा रहे हैं।

(ब) ऐसे कर्मचारी जो किसी दूसरी कलीसिया की सेवा निमित्त भेजे गए हो और उस कलीसिया से पेंशन पा रहे हो वे जब गोस्सनर कलीसिया की सेवा में लौट गये हो तो भी जी.ई.एल. कलीसिया से अनुपातिक पेंशन पाएंगे, परन्तु दोनों रकम मिल कर उस रकम से अधिक नहीं होगा जो उन्हें तब प्राप्तव्य होता जब वे दूसरी कलीसिया की सेवा में न भेजे जाकर जी.ई.एल. कलीसिया से पेंशन पाते।

ऐसे पेंशन पाने वालों के सबन्ध में जिस कलीसिया में सेवा निमित्त भेजे गए वहां की सेवा अवधि और गोस्सनर कलीसिया की सेवा अवधि दोनों मिलाकर जो कुल अवधि होगी उसके अनुसार जो पेंशन रकम प्राप्तव्य हो उससे जो रकम दूसरी कलीसिया देती है उसको घटाने से जो रकम निकले वह जी.ई.एल. चर्च से प्राप्तव्य पेंशन रकम होगा।

उपरोक्त सुविधाएं नियमों के प्रावधान के अनुसार प्राप्तव्य होंगी।

१४. पेंशन एवं परिवार पेंशन किसी प्रकार से सरकारी अदालत से अथवा कलीसिया से प्राप्तव्य किसी अन्य रकम से संलग्न नहीं होगा।

१५. नियमों का संशोधन, जोड़ अथवा घटाव :

नियमों के संशोधन, जोड़ अथवा घटाव का अधिकार केंद्रीय परिषद को है। इसके लिए कुल सदस्यों की दो तिहाई की उपस्थिति पर ही कोरम मानी जाएगी।

१६. ये संशोधित नियम 1-8-2000 ~~अथवा कोई अन्य तारीख जो केन्द्रीय परिषद निर्धारित करेगी~~ ~~से लागू होंगे~~ से लागू होंगे।

Bye-laws उपनियम

१. किसी भी प्रकार का पेंशन कर्मचारी को देना प्रारम्भ तब तक नहीं होगा जब तक
(अ) जब तक वह कलीसिया के मकान को खाली नहीं करता है
(ब) वह अपने पदभार का जिम्मा नहीं करता है
(स) संबन्धित व्यक्तियों से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो कि उसकी ओर से और कुछ देय नहीं है।

~~अधिकारी~~ संबन्धित अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतियों अथवा गलत सूचनाओं ~~के कर्मचारी के विषय~~ देने के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्हें पेंशन के आवेदन पर अच्छी तरह जांच कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षरित कर और पेंशन देने वाले के कार्यालय में प्रेषित करना है। पेंशन आवेदन उपयुक्त अधिकारी के मारफत ही केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक होगा।

२. पेंशन के सम्बन्ध में सेवा अवधि का आरम्भ तब से माना जाएगा जब से कर्मचारी किसी निश्चित कार्य पर बहाल होते हैं और पेंशन के लिए अपना निजी देन देना प्रारम्भ करते हैं।

३. कर्मचारी जो नियमित रूप से नियमत: पेंशन के लिए अपना देन नहीं चुकाते हैं वे पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे, ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनका दिया हुआ रकम उन्हें लौटा दिया जाएगा।

४. जब कर्मचारी वेतन रहित छुट्टी में हो और इसलिए उस अवधि में उन्होंने पेंशन के लिए अपना देन नहीं दिया है, तो उसकी वह अवधि पेंशन रकम निर्धारित करने के क्रम में पूरी सेवा अवधि से बाहर की जाएगी और सेवा वर्षों में उसकी निजी बिमारी के कारण से प्राप्त ~~अवधि~~ छुट्टी अवधि को मिलाने और न मिलाने का निर्णय केन्द्रीय परिषद पर निर्भर करेगा।

५. कर्मचारी जो अपने काम से त्तीफा देते हैं परन्तु केन्द्रीय परिषद की अनुमति से बाद में फिर काम पकड़ते हैं, वे पुन: काम पकड़ने के बाद के दिन से पेंशन के लिए हकदार होंगे, पहले की अवधि के लिए वे अधिकार रहित होंगे।

६. कर्मचारी जिन्हें आवश्यकतावश ~~पुन: काम~~ पुन: काम में लगाये गए हों, सेवा विस्तार की अवधि में पेंशन नहीं पायेंगे, सेवा विस्तार अवधि के समाप्त होने पर ही वे पेंशन पायेंगे।

6

७. कर्मचारी जो पेंशन पा रहे हैं और केन्द्रीय परिषद की स्वीकृति से किसी कार्य में लगाये जाते हैं उनको पेंशन देना तब तक बन्द रहेगा जब तक वे उस कार्य से मुक्त नहीं हो जाते हैं।

८. कर्मचारी जो किसी यथोचित कारण से कलीसिया की सजा में रखे गये हो, जब तक सजा में रहते हैं पेंशन देना बन्द रहेगा परन्तु ~~सजा के~~ पुनर्ग्रहण के बाद बकाया समेत पेंशन फिर दिया जाएगा।

९. कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा ~~से~~ कलीसिया से निष्कासित किये गए हों उन को पेंशन नहीं मिलेगा परन्तु उनका अपना दिया रकम उन्हें वापस दे दिया जाएगा।

१०. कर्मचारी जो सेवा करते हुए ही कलीसिया को छोड़ देते हैं ~~उन्हें~~ वे पेंशन ~~के~~ हकदार नहीं होंगे, परन्तु उन्हें उनका दिया रकम वापस दे दिया जाएगा।

~~११.~~ पेंशन पाते हुए कोई कर्मचारी कलीसिया छोड़ कर दूसरी कलीसिया के अंग हो जाते हैं उनको उसी तारीख से पेंशन देना बन्द हो जाएगा।

११ यदि पेंशन ~~के~~ रकम में रुपैया कटित हो तो उससे ऊपर वाला पूरा रुपैया हिसाब में लिया जाएगा।

१२. कर्मचारियों के द्वारा अपने परिवार का विवरण घोषित करना होगा। यदि किसी का परिवार ही नहीं हो तो ~~उसे किसी~~ ~~उसे~~ किसी को नामज़द करना होगा, परन्तु यह तब स्वतः अमान्य हो जाएगा जब उसका परिवार हो जाता है।

१३. यदि कोई कर्मचारी सेवा अवधि एवं सेवा निवृत्ति पर पेंशन उपभोग करने के पूर्व मर जाता है और उसका कोई परिवार नहीं है तो पेंशन उसको मिलेगा जिससे विधिवत् से उत्तराधिकार पत्र प्राप्त हो। अन्यथा कुछ पति(?) जिसका निर्णय केन्द्रीय परिषद करेगा के बाद समाप्त हो जाएगा।

निर्णय लेना

१४ यदि कोई कर्मचारी निलंबित अवस्था में मर जाता हो तो परिवार पेंशन नियम १० और ११ में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उपयुक्त (eligible) व्यक्ति को मिलेगा। निर्णय पेंशन देनेवाला अधिकारी स्वयं अथवा पुनर्ग्रहण कमिटि के सिफारिश पर मानो उनकी मृत्यु सेवा में रहते हुये हो हैं। परिवार पेंशन की अवधि का शुरू उसके मृत्यु के दूसरे दिन ही से होगा और उस के *

~~आधार वेतन~~ * निलंबित होने के पूर्व का आधार वेतन ही आधार वेतन माना जाएगा।

~~संशोधन का प्रारूप~~
~~जी. ई. एल. कलीसिया के पेंशन फन्ड नियम~~
~~(१६, २८ जुलाई १९८० को केन्द्रीय कौंसिल की बैठक में स्वीकृत)~~

~~१. फन्ड का नाम : फन्ड का नाम "जी. ई. एल. कलीसिया कर्मचारियों का पेंशन फन्ड"~~

१५. यदि पेंशन अथवा परिवार पेंशन पानेवाला व्यक्ति सदर्गी अदालत द्वारा दंडित हो तो वह व्यक्ति पेंशन नहीं पाएगा परन्तु, ~~और~~ परिवार पेंशन उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।

१६. यदि अधिकारी (अफसर) धोखा देने एवं हिसाब-किताब गड़बड़ करने के बाद लापता हो जाते हैं तो पेंशन अथवा परिवार पेंशन अदालत द्वारा उसके मुकदमे करने के पश्चात ही अथवा कार्यकारिणी के अन्त हो जाने पर ही मामले की स्थिति अनुसार पेंशन देना स्वीकृत होगा।

१७ यदि विवाहित दम्पति के दोनों सदस्य कलीसिया की सेवा में हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा सेवा कर ही रहा हो, तो मृत सदस्य का पेंशन अपने सेवा में रहने के बदले प्राप्त करेगा और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे दोनों के (माँ-बाप) नाम से परिवार पेंशन प्राप्त करेंगे।

१८. यदि कोई कर्मचारी सेवा की अवधि में ही मर जाता है तो मृत्यु की सूचना तुरंत अथवा एक महिने के अन्दर केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में पहुँचनी चाहिए (यह रकम ज्यादा) गलती से अधिक रकम भुगतान होने को रोकने के लिए आवश्यक है। यदि दो महिनों के अन्दर मृत्यु की सूचना उपयुक्त अधिकारी(यों) के मरकज कार्यालय में नहीं पहुँचती है तो पेंशन पाने का पूरा अधिकार समाप्त हो ~~जाता है~~ ~~जाएगा~~ सकता है।

१९ यदि किसी कर्मचारी के पेंशन एवं पेंशन फन्ड के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उसे विशेष कौंसिल एवं अफसरों की बैठक में पेश होना है।

Sd/- N. Soalco
सदस्य
पेंशन एवं पी. एफ. समिति

Sd/- Rev. J. Sanga
Convenor
Pension P.F. Committee.

भूमिका

वर्तमान के पेंशन फन्ड नियमों के संशोधन निमित्त जिन तीन जनों (१) श्रीमति एन. सोके, (२) श्री डी.ए.के मिश्रा और (३) पादरी जे. संगा की जो पेंशन और ~~प्रोविडेन्ट~~ फन्ड संशोधन समिति बनी और जिनको संशोधन का कार्य सौंपा गया था उसने ६.१२.१९९८ और ३०.२.१९९९ के बीच इस कार्य का संपादन किया। एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि श्री डी.ए.के. मिश्रा सूचना देने के बावजूद लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे अतः दो ही सदस्यों श्रीमति एन. सोके और पादरी जे. संगा द्वारा ही यह कार्य संपादित हुआ।

इसलिए क्योंकि इन नियमों के नामकरण ही में 'पास्टर' शब्द के बदले 'कर्मचारी' शब्द का उपयोग हुआ, सभी जगह आवश्यकता अनुसार 'पास्टर' शब्द के जगह 'कर्मचारी' शब्द का उपयोग हुआ और यह पुरुष एवं महिला जो भी कलीसिया की सेवा में कार्यरत हैं को बोध करता है।

नियम ४ (अ) के साथ उपधारा (ब) जोड़ा गया है ताकि कलीसिया के अधिकारियों को सुविधा हो और पेंशन देन जल्द केन्द्रीय कार्यालय में जमा हो सके।

अवयस्क बच्चों के हित को ध्यान में रख कर नियम ११ में परिवार पेंशन का प्रावधान है जो बच्चों के मां-बाप की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों के हित में लागू हो।

अनावश्यक समझ कर नियम ११ का (सी) और नियम १२ ~~और १३~~ हटा दिये गये।

वर्तमान नियमों के अलावे कुछ नये नियम और उप-नियम कलीसिया और पेंशनभोगियों की मांग के अनुकूल जोड़े गये हैं। अस्पष्टता और संभ्रांति को दूर करने के निमित्त कुछ नियमों का विस्तार किया गया है।

कलीसिया की रुचि वृद्धि के उद्देश्य से उप नियम (९) और उप नियम (१२) और (१३) को केन्द्रीय परिषद को परिवार-पेंशन देने में सुविधा प्रदान करने हेतु जोड़ा गया है।

इसलिए क्योंकि पेंशन (प्रावधान) भविष्य में सुरक्षा का प्रावधान है, अदालत एवं कलीसिया के बन्धन से इसे मुक्त रखना आवश्यक है अतः बन्धन से मुक्त रखने के उद्देश्य से नियम १४ को इस प्रारूप में जोड़ा गया है।

यह प्रारूप संशोधन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई निमित्त सौंपा जाता है। ✓

रांची - खूंटी

(2) उद्देश्य : ~~इस फण्ड~~ इसके नियम के आधार पर पात्र कर्मचारी और उसके आश्रितों को भविष्य में सुरक्षित देना।

(12) पेंसन देने की विधि : साधारणतः नियमित पेंसन मनिआर्डर से भेज दिया जायगा जो सेंट्रल कौंसिल के मुख्य लेखापाल, हरा महिना का प्रथम पखवारा में भेजेंगे।

स्थानीय पेन्सनर्सों ~~को~~ ~~केंद्रिय कार्यालय~~ ~~से~~ एवं उनके ~~प्रतिनिधियों या~~ अधिकृतों को केंद्रिय कार्यालय में ही दिया जाएगा।

NO. 734	DATE 8-4-02	H D S ✓ B M

CUSTOMER / FILE	K.S.S. GEL Church
JOB Revised Pension Form	DELIVERY 15/4/02
PAPER / INK	SIZES 1/8 Dy.

PAPER (MILL/WT./GSM)	STOCK	INK	STOCK
OR 23 10kg C. [illegible]		Black	

PROOF	COMPUTER	Uday	
	Ist Proof	IInd Proof	Polyster/Tressing
DATE			
PARTY/SELF			

PLATE/POLYSTER	STORAGE

PRINTING

BINDING Centre Stitching

SPECIAL WORK

DELIVERY PARTICULARS	QTY.: 2000 Sh.

PMT. PARTICULARS

Add [illegible]. Bill

2000 1/8

+ 9/65

भूमिका

वर्त्तमान के पेन्सन फण्ड नियमों के संशोधन निमित जिन तीन जनों § 1 § श्रीमती एन0 सोके § 2 § श्री ए0 के0 मिश्रा § 3 § पादूरी जे संगा, की जो पेन्सन फण्ड संशोधन समिति बनी और जिनको संशोधन का कार्य सौंपा गया था उसने 6-12-1998 और 10-2-1999 के बीच इस कार्य का संपादन किया। एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि श्री ~~ई0~~ ए0 के0 मिश्रा सूचना देने के बावजूद लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, अतः दो ही सदस्यों - श्रीमती एन0 सोके और पादूरी जे0 संगा द्वारा ही यह कार्य संपादित हुआ।

इसलिये क्योंकि इन नियमों के नामकरण ही में "पास्टर" शब्द के बदले "कर्मचारी" शब्द का उपयोग हुआ, सभी जगह आवश्यकतानुसार, "पास्टर" शब्द के जगह "कर्मचारी" शब्द का उपयोग हुआ और यह पुरुष और महिला जो भी कलीसिया की सेवा में कार्यरत है, को बोध करता है।

नियम 4 §अ§ के साथ उपधारा §ब§ जोड़ा गया है ताकि कलीसिया के अधिकारियों को सुविधा हो और पेन्सन देन जल्द केन्द्रीय कार्यालय में जमा हो सके।

अवयस्क बच्चों के हित को ध्यान में रखकर नियम 11 में परिवार, पेन्सन का प्रवधान है, जो बच्चों के माँ-बाप की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों के हित में लागू हों।

अनावश्यक समझकर नियम 11 का §सी§ और नियम 12 हटा दिये गये।

वर्त्तमान नियमों के अलावे कुछ नये नियम और उपनियम कलीसिया और पेन्सनभोगियों की माँग के अनुकूल जोड़े गये हैं। अस्पष्टता और संभ्राति को दूर करने के निमित कुछ नियमों का विस्तार किया गया है।

कलीसिया की रूचि वृद्धि के उद्धेश्य से उपनियम §1§ और उपनियम §12§ और §13§ को केन्द्रीय परिषद को परिवार पेन्सन देने में सुविधा प्रदान करने हेतु जोड़ा गया है।

इसलिये क्योंकि पेन्सन § प्रावधान § भविष्य में सुरक्षा का प्रावधान है, अदालत एंव कलीसिया के बन्धान से इसे मुक्त रखना आवश्यक है। अतः बन्धन से मुक्त रखने के उद्धेश्य से नियम 14 को इस प्रारूप में जोड़ा गया है।

यह प्रारूप संशोधन के पश्चात आवश्यक कार्यवाही के निमित सौंपा जाता है।

संशोधन प्रारूप § ड्राफ्ट §

जी0 ई0 एल0 चर्च पेन्सन फण्ड नियम।

§ 17, 18 जुलाई 1980 को चर्च कौंसिल की बैठक में स्वीकृत §

01. फण्ड का नाम : फण्ड का नाम "जी0 ई0 एल0 चर्च कर्मचारी पेन्सन फण्ड"
02. फण्ड का उद्धेश्य: इसके नियम के आधार पर कर्मचारी और उसके आश्रितों को भविष्य में सुरक्षित देना।
03. श्रेणी : निम्न श्रेणी के पेन्सन उपलब्ध होंगे:
    - अ. एक मुस्त पेन्सन
    - ब. नियामित पेन्सन
    - स. कर्मचारी परिवार पेन्सन
04. पेन्सन फण्ड के श्रोत:
    - अ. §1§ कर्मचारी का अपना मासिक देन आधार वेतन का प्रति रूपैये 5 पैसे
      §2§ कर्मचारी की वेतन देने वाली संस्था का मासिक देन-कर्मचारी के आधार वेतन के मासिक वेतन का प्रति रूपैये 5 पैसे

ब. शासन अधिकारी अथवा वेतन देने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी का देन उनके वेतन से काट कर जैसा अ (1) और (2) में उल्लेखित है केन्द्रीय कार्यालय को भेजें।

स. बाहय संस्था से प्राप्त विशेष निधारित देन।

द. बैंक में रखे गये रकम से प्राप्त सूद।

सुधार गया है

05. फण्ड का संचालन।

इस फण्ड के नाम से प्राप्त रकम एक अलग बैंक खाता में " पेन्सन फण्ड" के नाम से जमा किया जाएगा। इस फण्ड का हिसाब-किताब रखने एवं इस फण्ड से निकालकर पेन्सन भोगियों को देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय परिषद की होगी। इस फण्ड का रकम किसी अन्य में ऋण के रूप में भी खर्च नहीं किया जाएगा।

06. एक मुस्त पेन्सन देने की व्यवस्था।

ऐसे चर्च कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम कलीसिया में सेवा की हों। (एक से नौ वर्षों की सेवा अवधि के लिए) एक बार पेन्सन पाने के हकदार होंगे।

07. एक बार पेन्सन प्राप्तव्य रकम।

एक बार पेन्सन प्राप्तव्य रकम अन्तिम आधार वेतन को जितने वर्ष सेवा कि गई हो उससे गुणा करने से जो निकले वह रकम होगा।

08. नियमित पेन्सन के प्रावधान।

(अ) कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि तक सेवा देकर निवृत हों, किन्तु यदि वह किसी अन्य संस्था की सेवा कर लाभान्वित हो तो उन्हें मात्र उनका निजी रकम वापस कर दिया जाएगा। अथवा

(ब.) कर्मचारी कलीसिया में 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सेवानिवृत हो, अथवा

(स.) कर्मचारी अपनी बीमारी के कारण किसी अधिकृत डाक्टर के द्वारा आगे सेवकाई करने के लिये अयोग्य प्रमाणित किया गया हो,

09. नियमित पेन्सन में प्राप्तव्य रकम।

नियम 8 के अन्तर्गत कर्मचारी को आजीवन पेन्सन प्राप्त होगा। कलीसिया में उससे लगातर प्राप्त सेवा वर्षों की संख्या पर और 30 जोड़ कर पेन्सन का प्रतिशत रकम निर्धारित होगा । कलीसिया में सेवकाई के क्रम में उनका जो अन्तिम आधार वेतन होगा उस पर यह प्रतिशत लागू होगा।

उदाहरण :

किसी व्यक्ति ने लगातार 36 वर्ष की सेवा की हो और उसका अन्तिम आधार वेतन 2000 रूपया हो:

पेन्सन प्रतिशत = सेवा अवधि + 30

= 36 + 30 = 66 प्रतिशत

पेन्सन रकम = 66 प्रतिशत × 2000

= 66/100 × 2000

= 1320/- रू. प्रति माह

10. परिवार पेन्सन का प्रावधानः

(अ) यदि नियमित पेन्सन पाने वाले अथवा वाली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी अथवा पति को उसके पेन्सन का आधा रकम माहवारी पेन्सन के रूप में मिलेगा। यह रकम उनके मृत्यु अथवा पुर्नविवाह होने तक जो भी पहले हो प्राप्त होगा।

ब. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृति अवधि के पहले पेन्सन पाये बिना मर गया और नियमित पेन्सन का हकदार हो तो उसे उसके द्वारा जमा किया हुआ पूरा रकम अथवा 30000) रू. जो भी कम हो परिवार पेन्सन के हकदार को Ex-gratia भुगतान और जो भी रकम कर्मचारी को प्राप्त होता उसका आधा परिवार पेन्सन के नाम से दिया जाएगा।

अनुग्रहपूर्वक

उदाहरणं :

किसी व्यक्ति "वाई" ने 1.1.70 को सेवा आरम्भ किया और 20-2-1998 को उसकी मृत्यु हुई ~~अनुग्रह पूर्वक~~ जब कि उनका आधार वेतन माहवारी 2000/- रू. रहा रकम 27+30= 57 प्रतिशत = 2000/-रू. का 57 प्रतिशत = 1140/- रू. प्रति माह होता, अतः परिवार पेन्सन 1140/- रू. का आधा 570/- रू. प्रति माह होगा।

स. यदि कोई कर्मचारी जो एक बार पेन्सन प्राप्त करने का हकदार हो पेन्सन रकम पाने के पहले मर जाता हो तो वह रकम उसकी पत्नी अथवा पति अथवा बच्चों को दिया जाएगा

द. परिवार पेन्सन देना कर्मचारी अथवा वेतनभोगी के मृत्यु तारीख से आरम्भ होगा।

11. परिवार पेन्सन पाने वालों की प्रथमिकता इस प्रकार होगी:

1. कर्मचारी (पत्नी अथवा पति) के बिवाहित जोड़े को
2. उपरोक्त व्यक्तियो के पुर्नविवाह कर लेने अथवा मृत्यु हो जाने पर बच्चों को 25 वर्षा की उम्र तक अथवा काम पकड़ने तक जो भी पहले हो। शादी हुई लड़कियाँ परिवार पेन्सन के हकदार नहीं होगी। बच्चों को परिवार पेन्सन की रकम मंडली के संचालक प्रचारक अथवा पाद्री के मरफत बराबर-बराबर दिया जाएगा।

यदि अनेक नबालिक बच्चे हो तो उनके गर्जियन के मरफत उन्हें बराबर-बराबर 18 वर्षा की आयु तक दिया जाएगा

नोट: परिवार पेन्सन कर्मचारी के मृत्युपरान्त जन्मे बच्चों अथवा सेवानिवृत होने के पश्चात विचारनीय अवधि के ~~अन्त~~ अंतर्गत जन्मे बच्चों को भी प्राप्त होगा।

12. पेन्सन देने की विधिः- साधारणतः नियमित पेन्सन मनिवर्डर से भेज दिया जायगा। जो केन्द्रीय परिषद के मुखय लेखापाल द्वारा माहिना का प्रथम पखवारा में भेजेंगे। स्थानीय पेन्सनरों एंव उनके अधिकृतों को केन्द्रीय कार्यालय में ही दिया जाएगा।

13. पास्टर एंव कर्मचारी जो पेन्सन पाने के हकदार नहीं होंगे :

(अ.) पाद्रीगण पदाभिषेक पाने के पूर्व, पाद्रीगण और कर्मचारी जो और किसी अन्य श्रोत से पेन्सन पा रहे हो।

(ब.) ऐसे कर्मचारी जो किसी दूसरी कलीसिया की सेवा निमित भेजे गए हों और उस कलीसिया से पेन्सन पा रहे हों, वे जब गोस्सनर कलीसिया की सेवा में लौटे गये हों तो जी. ई. एल. कलीसिया से अनुपातिक पेन्सन पाऐंगे परन्तु दोनो रकम मिल कर उस रकम से अधिक नहीं होगा जो उन्हें तब प्राप्तव्य होता जब वे दूसरी कलीसिया की सेवा में न भेजे जाकर जी. ई. एल. कलीसिया से पेन्सन पाते।

ऐसे पेन्सन पाने वालों के संबन्ध में जिस कलीसिया में सेवा निमित भेजे गए वहाँ की सेवा अवधि और गोस्सनर कलीसिया की सेवा अवधि दोनों मिलाकर जो कुल अवधि होगी उसके अनुसार जो पेन्सन रकम प्राप्तव्य हो उससे जो रकम दूसरी कलीसिया देती है उसको घटाने से जो रकम निकले वह जी. ई. एल. चर्च से प्राप्तव्य पेन्सन रकम होगा।

उपरोक्त सुविधाएं नियमों के प्रावधान अनुसार प्राप्तव्य होंगी।

14. पेन्सन एवं परिवार पेन्सन किसी प्रकार से सरकारी अदालत से अथवा कलीसिया से प्राप्तव्य किसी अन्य रकम से संलग्न नहीं होगा।

15. नियमों का संशोध जोड़ अथवा घटाव:
नियमों के संशोधन, जोड़ अथवा घटाव का अधिकार केन्द्रीय परिषद को है। इसके लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई की उपस्थिति पर ही कोरम माना जाएगा।

16. ये संशोधन नियम 1-4-2000 से लागू होंगे।

उपनियम

01. अ. किसी भी प्रकार का पेन्सन कर्मचारी को देने का आरम्भ तब तक नहीं होगा जब तक वह कलीसिया के मकान को खाली नही करता है।
ब. वह अपने पदभार का जिम्मा नहीं करता है।
स. संबन्धित व्यक्तियों से इस बात का प्रमाण – पत्र प्राप्त न हो कि उसकी ओर से और कुछ देय नहीं है।
संबन्धित अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारी के संबंध में किसी प्रकार की गलतियों अथवा गलत सूचना देने के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्हें पेन्सन के आवेदन पर अच्छी तरह जाँच कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षर कर उसे पेन्सन देने वालों के कार्यालय मे प्रेषित करना है। पेन्सन आवेदन उपयुक्त अधिकारी के मरफत ही केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक होगा।

02. पेन्सन के संबंध में सेवा अवधि का आरम्भ तब से माना जाएगा जब से कर्मचारी किसी निश्चित कार्य पर बहाल होते है और पेन्सन के लिए अपना निजी देन देना आरम्भ करते है।

03. कर्मचारी जो नियमित रूप से नियमित पेन्सन के लिए अपना देन नहीं चुकाते हैं वे पेन्सन पाने के हकदार नहीं होंगे, ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनका दिया हुआ रकम उन्हें लौटा दिया जाएगा।

04. जब कर्मचारी वेतन रहित छुट्टी में हो और उस अवधि में उन्होंने पेन्सन के लिए अपना देन नहीं दिया हो, तो उसकी वह अवधि पेन्सन रकम निर्धारित करने के क्रम में पूरी सेवा अवधि से घटा दी जाएगी और वर्षों में उसकी निजी बिमारी के कारण से प्राप्त छुट्टी अवधि को मिलाने और न मिलाने का निर्णय केन्द्रीय परिषद पर निर्भर करेगा।

05. कर्मचारी जो अपने काम से स्तीफा देते हैं परन्तु बाद में केन्द्रीय परिषद की अनुमति से फिर काम पकड़ते है, वे पुनः काम पकड़ने के बाद के दिन से पेन्सन के लिए हकदार होंगे, पहले की अवधि के लिए वे अधिकार रहित होंगे।

06. कर्मचारी जो आवश्यकतावश पुनः काम में लगाये गए हों सेवा विस्तार की अवधि में पेन्सन नहीं पाऐंगे, सेवा विस्तार अवधि के समाप्त होने पर ही वे पेन्सन पाऐंगे।

07. कर्मचारी जो पेन्सन पा रहें है और केन्द्रीय परिषद की स्वीकृति से किसी कार्य में लगाये जाते है उनको पेन्सन देना तब तक बन्द रहेगा जब तक वे उस कार्य से मुक्त नहीं हो जाते हैं।

08. कर्मचारी जो किसी यथार्थ कारण से कलीसिया की सजा में रखे गये हों, जब तक सजा में रहते हैं पेन्सन देना बन्द रहेगा परन्तु पुर्नग्रहण के बाद बकाया समेत पेन्सन फिर दिया जाएगा।

09. कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा कलीसिया से निकाल दिये गए हों उन को पेन्सन नहीं मिलेगा परन्तु उनका अपना दिया रकम उन्हें वापस दे दिया जाएगा।

10. कर्मचारी जो सेवा करते हुए ही कलीसिया को छोड़ देते हैं वे पेन्सन के हकदार नहीं होंगे, परन्तु उन्हें उनका दिया रकम वापस दे दिया जाएगा।

11. पेन्सन पाते हुए कोई कर्मचारी कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया के अंग हो जाते हैं उनको उसी तारीख से पेन्सन देना बन्द हो जाएगा।

11. यदि पेन्सन के रकम में रूपैया खंडित हो तो उससे ऊपर वाला पूरा रूपैया हिसाब में लिया जाएगा।

12. कर्मचारियों के द्वारा अपने परिवार का बिवरण घोषित करना होगा। यदि किसी का परिवार ही नही हो तो उसे किसी को नामजद करना होगा, परन्तु यह तब स्वतः अमान्य हो जाएगा जब उसका परिवार हो जाता है।

13. यदि कोई कर्मचारी सेवा अवधि एंव सेवा निवृति पर पेन्सन उपभोग करने के पूर्व मर जाता है और उसका कोई परिवार नहीं है तो पेन्सन उसको मिलेगा जिसको कचहरी से उत्तराधिकार पत्र प्राप्त हो। अन्यथा कुछ महिनों में जिसका निर्णय केन्द्रीय परिषद करेगा के बाद समाप्त हो जाएगा।

14. यदि कोई कर्मचारी निलंबित अवस्था में मर जाता हो तो परिवार पेन्सन नियम 10 और 11 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिसका निर्णय पेन्सन देने वाला अधिकारी स्वंय निर्णय लेकर अथवा पुर्नरिक्षण कमिटि के सिफारिस पर मानो उनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो, देंगे। परिवार पेन्सन की अवधि का शुरू उसके मृत्यु के दूसरे दिन ही से होगा और उसके निलंबित होने के पूर्व का आधार वेतन ही आधार वेतन माना जाऐगा।

15. यदि पेन्सन अथवा परिवार पेन्सन पाने वाला व्यक्ति सरकारी अदालत द्वारा दंडित हो तो वह व्यक्ति पेन्सन नही पाएगा परन्तु परिवार पेन्सन उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।

16. यदि अधिकारी (अफसर) धोखा देने एंव हिसाब-किताब गड़बड़ करने के बाद लापत्ता हो जाता हैं तो पेन्सन अथवा परिवार पेन्सन अदालत द्वारा उसके मुक्त किये जाने के पश्चात ही अथवा प्रशासनिक कार्रवाई के अन्त हो जाने पर ही मामला की स्थिति अनुसार पेन्सन देना स्वीकृत होगा।

17. यदि विवाहित दम्पति के दोनो सदस्य कलीसिया की सेवा में है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा सेवा कर ही रहा हो, तो वे मृत सदस्य का पेन्सन अपने सेवा में रहने के बवजूद प्राप्त करेंगे और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे दोनो के (माँ-बाप) नाम से परिवार पेन्सन प्राप्त करेंगे।

पृष्ट/6

18. यदि कोई कर्मचारी सेवा की अवधि में ही मर जाता है तो मृत्यु की सूचना तुरन्त अथवा एक महिने के अन्दर केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में पहुँचनी चाहिए। गलती से अधिक रकम भुगतान होने को रोकने के लिए यह कदम लेना आवश्यक है। यदि दो महिनो के अन्दर मृत्यु की सूचना उपयुक्त अधिकारियों के मरफत कार्यालय में नहीं पहुँचती है तो पेन्सन पाने का पूरा अधिकार समाप्त हो सकता है।

19. यदि किसी कर्मचारी पेन्सन एंव पेन्सन फण्ड के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उसे विशप कौंसिल एंव अफसरों की बैठक में पेश होना है।

ह0/- एन0 सोके
सदस्य
पेन्सन एंव पी॰एफ॰समिति

ह0/- पाद्री जे0 संगा
कोन-भेनर
पेन्सन एंव पी॰एफ॰समिति।

जी. ई. एल. चर्च संशोधित पेन्शन नियमावली

प्रभावी 1.4.2000.

पारित -- केन्द्रीय परिषद बैठक -- .

Over

GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IN CHOTANAGPUR & ASSAM

(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860)
Vide No. 273-J of 30-7-1921
Head Office : G. E. L. Church, Ranchi - 834001, Bihar, India. **Ph. : 311513**
Fax : 91-651-200224

John Bodra
General Secretary

Ref No. CC - 173/275 Date 05/05/1999

To,
Bishop NE/NW/SE/Madhya Diocese
Vice-President, S.W.Diocese/Dean CRC.

Sub : Draft revision on Pension and P.F.

Dear Sir,

The Central Council in its 7th meeting held from April 20-24, 1999 after accepting the draft revision on pension and P.F. resolved to send the revised copy alongwith the previously approved to Diocesan Council/CRC to study it.

You are requested to place the document before the Diocesan Council/CRC with a view to scrutirise and send the report with comments/remarks to Rev.J.Sanga, Convenor, Committee on Pension and P.F.for making necessary amendments.

Thanking you.

Sincerely yours,
John Bodra 6/5/99
(JOHN BODRA)
General Secretary,
G. E. L.Church.

Enclo : As stated.

Copy to Rev.J.Sanga, Convenor, Committee on Pension and P.F. for information and doing the needful. (without enclosures)

Draft Revision
G.E.L. Church Pension Fund Rules
(As approved by the CC Meeting dt.______________)

1. Name of the Fund: The name of the fund shall be "G.E.L. Church Employees' Pension Fund"

2. Purpose of the Fund: As it is only the word "Pastor" is replaced with "Employee"

3. Categories: Payment of Pension will be of the following categories:

   a. ONE-TIME Pension
   b. Regular Pension
   c. Employees' Family Pension.

4. Source of the Pension Fund:
   a (i) Employees' own monthly contribution @ 5% (5 paise per rupee) of their basic pay.
   (ii) Contribution from the employees' paying body @ 5% of Employees' basic pay.

   b. The controlling officer/Authority paying the salary of an employee shall be responsible to deduct the amount of employees' contribution from his/her salary and as mentioned at a.(i)&(ii), transmit it to the C.C. Office.

   c. Especial Designated contribution received from outside body.

   d. Interest on money deposited in the Bank.

5. Management of the fund:
Contribution towards Pension Fund will be kept in a separate fund named as Pension Fund. The Central Council will be responsible to maintain the account and payment of Pension from the Fund. Money from the Pension Fund shall not be deviated for any other purpose including loans.

6. Condition for payment of One-Time Pension:
Church employees who have served the Church for more [illegible] (i.e. one to nine years) would be entitled to receive One Time Pension payment.

7. The amount of One-Time Pension:
The [illegible] pension shall be the last basic pay at the time of ceasing his/her service multiplied by the no of complete years of his/her service.

8. Conditions laid down for Regular Pension:
   a. Must have served the Church for 10 years and above continuously and retired. But if he/she is gainfully engaged in service with any agency, his/her own contribution will be returned to him/her.

OR b. He/she retires on superannuation from the Church Service at the age of 65 years.

OR c. He/she retires due to self illness in being certified by

a Medical Officer to be totally and permanently unfit for further service.

9. Amount of Regular Pension:

A pension shall be paid for full life to an employee if eligible as per provision of Rule 8 of this Rule. The percentage for pension shall be arrived by taking years of continuous service in this Church plus 30. The amount of pension shall be the percentage (so arrived at) of the last basic salary an employee was drawing just before his/her ceasing from the Church Service.

EXAMPLE:

MR. X served the Church continuously for 36 years. His last basic pay was Rs. 2000/-

Percentage = length of service + 30
= 36 + 30 = 66%

Pension Amount = percentage x last basic pay
= 66% x 2000
= (66/100) x 2000 = Rs. 1320/- P.M.

10. Condition for family pension:

a. If a recipient of regular pension dies his/her wife/ husband will receive half the amount of pension which his/her wife/husband was receiving. This family pension will be given to him/her till the death or remarriage which ever is earlier.

b. If an employee entitled for Regular Pension dies before his/her retirement and could not drawing any pension, the total amount of his/her own contribution OR Rs. 30000/- ~~whichever is less~~ shall be paid to the person eligible for family pension as an "Ex-Gratia" payment and one half of the full pension that would have been drawn by the employee at the time of his her death, as family pension.

30,000/- ~~Rs50,000/-~~ in lieu of his/her contribution, Corin Contri. will not be returned

EXAMPLE:

Mr. Y. entered the service on 1.1.70 and died on 20.2.98 at basic pay Rs. 2000/- P.M. He would have drawn 27+30 = 57% of Rs. 2000/- = Rs. 1140/- P.M. as pension and hence the family pension would be Rs. 1140/2 = Rs. 570/- p.m.

1998-2-20
1970-1-01
28-1-19

c. If an employee entitled to receive One-Time pension dies before receiving it, the amount shall be paid to his/her wife or husband or children as per provision of Rule ~~11~~, ~~of this Rule.~~

d. A family pension shall begin from the date following ...

will be given to him/her till the death or remarriage which ever is earlier.

b. If an employee entitled for Regular Pension dies before his/her retirement and drawing any pension, the total amount of his/her own contribution OR Rs. 30000/- ~~which ever is less~~ shall be paid to the person eligible for family pension as an "Ex-Gratia" payment and one half of the full pension that would have been drawn by the employee at the time of his her death, as family pension.

EXAMPLE:

Mr. Y. entered the service on 1.1.70 and died on 20.2.98 at basic pay Rs. 2000/- P.M. He would have drawn 27+30 = 57% of Rs. 2000/- = Rs. 1140/- P.M. as pension and hence the family pension would be Rs. 1140/2 = Rs. 570/- p.m.

c. If an employee entitled to receive One-Time pension dies before receiving it, the amount shall be paid to his/her wife or husband or children as per provision of Rule ~~11~~ of this Rule.

d. A family pension shall begin from the date following the date of death of an employee/pensioner.

11. Priorities for receiving family pension:

i. Spouse of the employee (wife/husband)

ii. After death or remarriage of the above - children till the age of 25 years or starting earning, whichever is earlier. Major Married daughters are not eligible for family pension.

In case of many minor children, the amount shall be paid equally through their guardian till they attain the age of 18 years.

iii. When family pension ceases to (ii) above, to sons and daughters suffering from mental disorder and physically crippled which renders them unfit for earning any livelihood for their life time, they will get pension at the rate half of the family pension.

NOTE: Family pension is admissible to a posthumous child or a child born after retirement within a considerable month.

12. Mode of payment of Pension:
As it is only "K.S.S." replaced by the word "C.C".

13. Pastors and employees not entitled to be the member of the Pension fund :

a. Pastors prior to their ordination. Pastors (clergymen) and employees already receiving pension from any other source.

13A. An employee loaned for service in any other Church and receiving pension from that Church and returned to the service of G,E.L. Church shall get the proportionate pension on retirement from the G.E.L.C. But the total amount of both pensions should not exceed the amount of pension that would have been received from this Church but for his loan to other Church.

The pension to such employees would be accrued to them on the basis of the total period of service in loanee Church and this Church minus pension paid by the loanee Church. But in no case pension payable to such employee shall exceed the amount of pension that would be for total continuous service in the Church.

The above benefits shall be in accordance of the with the provisions of the Rules.

14. An amount of pension/family pension is not liable to court attached or attached for any due to the Church.

15. Amendment, addition and relaxation of the rules:
Any amendment, addition and relaxation of this Rule is vested with Central Council. For this two-third majority of the members shall be the quorum.

16. This revised Rule will come into force with effect from 1.4.99 or at any other earlier date as announced by the C.C.

Bye - Laws

1. Pension of all categories shall not be released unless an employee

a. vacates a quarter (house belonging to the Church)
b. hands over the charge of his/her post.
c. his/her "No Demand Certificate" from all concerns is received.

The Authority concerned shall be held responsible for any wrong and miss-information of the employee under his/her control. He may thoroughly examine the application for pension and endorse it to the pension paying authority.

2. The calculation of the year for pension shall be from the date of regular appointment in a substantive post and contribution towards Pension Fund.

3. An employee not contributing to the Pension Fund regularly as required by the rules will not be eligible for any pension.

4. The period in which an employee remains on sanctioned leave but no contribution is made due to leave without pay, the period will b excluded from the calculation for number of years but the period of leave due to self illness may be taken for calculation for number of years at the discretion of the Central Council.

5. An employee who resigns and resumed to his duty with the approval of C.C. his/her service will qualify for pension from the date of re-assuming the service, period of his/her past service will be forfeited.

6. An employee through necessity of the Church is re-appointed or his/her service is extended - such service shall not qualify for pension. In such case pension will start from the date of ceasing from the service.

7. An employee receiving pension may engage himself/herself with the approval of C.C. but his/her pension will remain held up till ceasing from such employment.

8. An employee put under discipline for any valid reason and punished his/her pension will remain held up and will be released with arrears after his/her re-acceptance into the Church.

9. An employee dismissed from the Church Service as a disciplinary measure, he/she will not be entitled for pension. However his/her own amount of contribution will be returned to him/her.

10. An employee who leaves the Church on his own accord while in service will not be entitled to get pension. However the amount of his/her own contribution will be returned to him/her.

If a pensioner, receiving pension from this Church severs connection with this Church and becomes a member of any other Church, his/her pension shall be stopped from such date.

11. If the amount of pension comes in to fraction, it shall bee rounded off to the next higher rupee.

12. A family declaration must be submitted by the employees. If an employee has no family, he/she can nominate any person/persons. However such a nomination shall become automatically invalid when the employee acquires a family. Family acquired after the retirement shall not be considered for family pension.

13. When an employee dies in service or after retirement but before receiving the retirement benefits and leaves behind no family the amount of family shall be payable to the person in whose favour a Succession Certificate has been granted by the Court of Law. Otherwise it lapses after a period so fixed by the C.C.

14. When a Church employee dies while under suspension, the period of suspension will be treated as duty for all purposes including payment of salary and the family pension as eligible under the provisions of Rule 10 & 11 is payable to the eligible member of family as if it is a case of death while in service.

15. When a recipient of pension or family pension is convicted and punished by the Court, such pensioner will be debarred from receiving pension and family pension will be paid to the eligible member.

16. Cases in which officials disappear after committing fraud or embezzlement, the pension and family pension is to be sanctioned only on being acquitted by the court or after the conclusion of the disciplinary proceedings according to the merit of the case.

17. When both of spouse are in the service of the Church and any of them dies in service, the surviving spouse will get the family pension inspite of his/her being in service. So as when both of the spouse die, the minor children of the couple will get two family pensions.

18. When an employee or pensioner dies, notice must be given to the Central Council immediately or within a month. This is to guard against the over payment.

N. Sokey Member Pension P.F. Committee	Rev. T. Sanga Convener Pension P.F. Committee

Preface

Amendment/revision of the existing Pension Fund Rules as entrusted to Pension and P.F. amendment committee comprising of (1) Mrs. N. Sokey (2) Mr. D.A.K. Mishra and Rev. U. Sanga taken up from .... It is mentioned herewith that MR. D.A.K. Mishra did not turn up for carrying out the work in three consecutive sittings .... inspite notices to him. As such the work has been done by Mrs. N. Sokey and myself, Rev. U. Sanga.

Since the word 'Pastor' has been replaced with the word 'Employee' in the very nomenclature of the rule, almost all rules have necessitated change and wherever necessary the word 'Employee' substituted to the word 'Pastor'. 'Employee' denotes both, male and female in the service of the Church.

Sub-rule (b) to Rule 4(a) has been inserted to help the Church authorities and timely transmission of Pension contribution to Central Council Office.

Keeping in view the welfare of minor children and lunatic and physically crippled children a provision for family pension has been made under Rule 11 which shall start following the day of the death of their mother or father.

As no need felt sub rule (c) of Rule 11 & Bye law 12 have been deleted.

Some new rules/subrules have been inserted to the existing Rules according to the demand of the Church and Pensioners. Some of the existing Rules have been elaborated to do away with confusion and ambiguity.

Bye law 1 has been made to help the interest of the Church whereas Bye laws 12 & 13 have been included in the Bye laws just to facilitate the payment of family pension to the Central Council.

Pension being a security for future, it should be free from any attachment, by the court or the Church. To keep free from any attachment a rule as Rule 14 has been included in the draft Rule.

The draft after the revision of the existing Pension Rules is submitted for the needful.

Rev. U. Sanga
Convener
Pension Fund & P.F. Revision Committee

GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
IN CHOTANAGPUR & ASSAM
(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860)
Vide No. 273-J of 30-7-1921
Head Office : G. E. L. Church, Ranchi - 834 001, Bihar, India. Ph.: 311513
Fax : 91-651-200224

John Bodra — *General Secretary*
Most Rev. C. S. R. Topno — *Moderator*
Mr. U. Sanga — *Treasurer*

Ref. No. सी.सी. - 173/65

Date 06.02.99

O/C

प्रेषित,

श्रीमान/श्रीमती ....

....

....

आपको यीशु सहाय,

आपको सूचित करते हुए कहना है कि जी.ई.एल. चर्च केन्द्रीय परिषद के फैसलेनुसार आप जी.ई.एल. चर्च पेन्सन फण्ड के नियमावली को सुधारने के लिए चुने गये हैं ।

अतः आप से आग्रह है कि तीसरी बैठकी 10.2.99 को 10.30 बजे से केन्द्रीय परिषद् के चैपल भवन में करने का निश्चित किया गया है।

अतः अपनी बहुमूल्य समय देकर इस काम के लिए उपस्थित होने की कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

पादरी वे० संगा
कन्वीनर

प्रतिलिपि :-

1. डी० ए० के० मिश्रा,
   नो० वे० इयोसित,
2. श्रीमती स्न० सोके,
   न्यू गर्डेन सिरम टोली, राँची।
3. श्री० जोन बोदरा,
   महा सचिव, केन्द्रीय परिषद्, सूचनार्थ
4. उम्बुलन संगा, कोषाध्यक्ष, सूचनार्थ।

GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
IN CHOTANAGPUR & ASSAM
(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860)
Vide No. 273-J of 30-7-1921
Head Office : G. E. L. Church, Ranchi - 834 001, Bihar, India. Ph: : 311513
Fax : 91-651-200224

John Bodra *General Secretary* | **Most Rev. C. S. R. Topno** *Moderator* | **Mr. U. Sanga** *Treasurer*

Ref. No. CC-173/687 Date. 24.10.98.

To
Rev. J. Sanga
Convenor, Pension/P.F. Committee
G.E.L. Church, Ranchi.
Mr. A.K. Mitra, member
Mrs. N. Sockey, member.

Dear Sir/madam,

Greetings from Central council office.

The central council in its meeting (Oct 21-24, 1998/HRDC) opined that Pension/P.F. Committee may finalise its recommendation and submit its report on or before Dec 15, 1998 to the central council.

It is requested that steps may please be taken to finalise the report/recommendation on or before Dec 15, 1998 to this office

Kindly do the needful.

with good wishes

Sincerely yours
John Bodra
(JOHN BODRA)
General Secretary.

GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IN CHOTANAGPUR & ASSAM

(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860)
Vide No. 273-J of 30-7-1921

Head Office : G. E. L. Church, Ranchi - 834 001, Bihar, India. Ph. : 311513
Fax : 91-651-200224

John Bodra	**Most Rev. C. S. R. Topno**	**Mr. U. Sanga**
General Secretary	*Moderator*	*Treasurer*

Ref. No......................... Date....7-10-98.......

प्रेषित,

श्रीमान / श्रीमती ....कन्वीनर........................
....
....

आपको यीशु सहाय,

आप को सूचित करते हुए कहना है कि जी॰ई॰एल॰ चर्च, केन्द्रीय परिषद् की बैठकी तिथि अप्रैल 22,25, 1998 के अनुसार आप जी॰ई॰एल॰ चर्च पेन्सन फण्ड के नियमावली को सुधारने के लिए चुने गये है।

अतः आप से आग्रह है कि दूसरी बैठक तिथि 12.10.98 को सुबह 10 बजे से केन्द्रीय परिषद् के चैपल भवन में करने का निश्चित किया गया है।

अतः अपनी बहुमूल्य समय देकर इस काम के लिए उपस्थित होने की कृपा करें।

आपका विश्वस्त,
(signature)
{ पादरी जे० संगा }
कन्वीनर

प्रतिलिपि :-

01. डी० ए० के० मिन्ज
नो० वे० डयोसिस,
02. श्रीमती एन० तोपनो,
न्यू गार्डेन सिरोमटोली, रांची।
03. जोन बोदरा, महा सचिव, के० प्र० का०, सूचनार्थ।
04. उम्बुलन संगा, कोषाध्यक्ष, सूचनार्थ।

GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IN CHOTANAGPUR & ASSAM

(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860)
Vide No. 273-J of 30-7-1921
Head Office : G. E. L. Church, Ranchi - 834 001, Bihar, India. Ph. : 311513
Fax : 91-651-200224

John Bodra	**Most Rev. C. S. R. Topno**	**Mr. U. Sanga**
General Secretary	*Moderator*	*Treasurer*

Ref. No. A.C. A/C./ 622 Date. 01. 10. 98.

O/C

प्रेषित,

श्री / श्रीमती ....
....
....

आपको यीशुसहाय।

आपको सूचित करते हुए कहना है कि जी॰ ई॰ एल॰ चर्च केन्द्रीय परिषद् की बैठकी तिथि अप्रैल 22-25, 1998 के अनुसार आप जी॰ ई॰ एल॰ चर्च पेन्सन फण्ड के नियमावली को सुधारने के लिए चुने गये है।

अतः आप से आग्रह है कि इसकी बैठकी तिथि 7. 10. 98 को पुर्वाहन 10.00 बजे से केन्द्रीय परिषद् के चैपल भवन में करने का निश्चित किया गया है।

आप अपनी बहुमूल्य समय देकर इस काम के लिए उपस्थित होनें की कृपा करें।

जी॰ ई॰ एल॰ चर्च पेन्सन फण्ड नियमावाली अध्ययन हेतु संलग्न हैं।

आप का विश्वस्त,

01/X/98

पादरी जे० संगा
मुख्य लेखापाल, सी॰ सी
कन्वीनर जी॰ ई॰ एल॰ चर्च,
पेन्सन फण्ड कमिटि।

01. श्री॰ ए० के० मिश्रा, सदस्य
नोर्थ वेस्ट डायोसिस,
02. श्रीमती॰ एन सोके,
न्यु गार्डेन सिरोम टोली,
रांची।
३. श्री जौन बोदरा, महासचिव, सूचनार्थ।
४. श्री उज्ज्वल संगा कोषाध्यक्ष, सूचनार्थ।